4. बीमा कम्पनी (Insurance Companies)

(जो जीवन-बीमा नहीं करती)

भारत में दो प्रकार की बीमा कम्पनियां हैं। एक वे जो केवल जीवन-बीमा करती हैं और बीमा अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आती हैं। जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (Life Insurance Corporation Act, 1956) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित जीवन बीमा-निगम को 1 सितम्बर, 1956 से जीवन-बीमा व्यवसाय हस्तान्तरित हो गया है। अतः अब बीमा कम्पनी अधिनियम, 1938 के प्रावधान जीवन बीमा के लिए लागू नहीं होते हैं। दूसरी वे हैं जो सामान्य बीमा जैसे अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, आदि करती हैं और जो बीमा कम्पनी अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत आती हैं। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 के

Scanned with CamScanner

प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित सामान्य बीमा निगम नवम्बर, 1972 से सामान्य बीमा के कार्यकलाप को नियन्त्रित करता है। इस व्यवसाय के हिसाब-किताब बीमा अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत रखे जाते हैं। बीमा कम्पनी अधिनियम, 1938 की धारा 10-29 के अनुसार इसके वार्षिक खाते तैयार किये जाते हैं, लेकिन कम्पनी अधिनियम, 1956 इस पर लागू होता है। बीमा कम्पनी के अंकेक्षण में अंकेक्षक को नितान्त सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि बीमा कम्पनियों के खातों में काफी त्रुटियां पायी जाती हैं। इनके खातों के अंकेक्षण में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :

सामान्य सूचनाएं (General Information)

(1) एक बीमा कम्पनी में बहुत अधिक मात्रा में व्यवहार होते हैं एवं अंकेक्षक के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह उसके खातों की विस्तृत जांच कर सके। अतः उसे कम्पनी की **आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली** पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे देखना चाहिए कि यह प्रणाली उचित है या नहीं।

(2) अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि भिन्न-भिन्न कोषों के लिए पृथक्-पृथक् खाते बनाये गये हैं।

(3) अंकेक्षक को देखना चाहिए कि बीमा कम्पनी के **वार्षिक खाते** बीमा कम्पनी अधिनियम, 1938 एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार तैयार किये गये हैं या नहीं।

आय (Income)

(4) एक बीमा कम्पनी की आय का मुख्य साधन **पॉलिसियों से प्राप्त प्रीमियम** है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि वह राशि पॉलिसी रजिस्टर से मिलती है या नहीं। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इस कम्पनी की आय का अधिकांश भाग उसकी शाखाओं से प्राप्त होता है। इसके लिए अंकेक्षक को अत्यन्त सावधानी से खातों का अंकेक्षण करना चाहिए।

(5) अदत्त पेशगी प्राप्त प्रीमियम की राशि का प्रमाणन किया जाना चाहिए।

(6) अंकेक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि **प्रत्येक बीमे के लिए अलग-अलग आय खाते** बनाये गये हैं या नहीं।

(7) इसके अलावा एक बीमा कम्पनी को विनियोगों पर ब्याज, लाभांश एवं किराये से जो आय प्राप्त होती है, उसका **अंकेक्षण उचित प्रमाणकों की सहायता** से करना चाहिए।

व्यय (Expenditure)

(8) एक बीमा कम्पनी पॉलिसी परिपक्व होने पर उसका भुगतान करती है। अतः अंकेक्षक को **दावों की राशि** को दावा रजिस्टर (Claims Register) से मिलाना चाहिए। उस रकम को अन्य प्रमाण-पत्रों से भी मिलाना चाहिए। दावों में केवल भुगतान की हुई राशि नहीं वरन् अदत्त दावों की राशि भी सम्मिलित होनी चाहिए।

(9) **एजेण्टों को दिये पारिश्रमिक** की जांच इनके ठहराव एवं उनकी दी गयी रसीदों से करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वह राशि बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार ठीक है। यह राशि अग्नि बीमा में प्राप्त प्रीमियम की राशि के 15% तथा समुद्री बीमा में प्राप्त प्रीमियम की राशि के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कमीशन की राशि का भुगतान चैक द्वारा किया जाना चाहिए। (केवल बहुत थोड़ी रकम को छोड़कर)।

(10) दिये गये **बोनस की जांच** कैश रजिस्टर एवं बोनस रजिस्टर से की जानी चाहिए।

(11) सभी खर्चे जैसे वैधानिक व्यय (legal expenses) आदि भिन्न-भिन्न विभागों में उचित रीति से बांटे गये हैं या नहीं, यह भी देखना चाहिए।

(12) उसको वार्षिकियों (annuities) के सभी भुगतानों की जांच करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि सभी वार्षिकियों (annuities) के लिए जो चुकता (due) हो गयी हैं पर अदत्त हैं, भुगतान का आयोजन कर लिया गया है।

अन्य (Other)

(13) अगर कोई **पुनर्बीमा** किया गया है तो उस प्रसंविदे को देखकर प्रीमियम, आदि अन्य सभी बातों का पता लगाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(14) कम्पनी की सभी **सम्पत्तियों एवं दायित्वों** को उचित प्रमाणकों से मिलाना चाहिए एवं देखना चाहिए कि उन पर उचित ह्रास लगा दिया गया है या नहीं। रोकड़ की जांच भी अत्यन्त सावधानी से करनी चाहिए।

(15) अन्य **जोखिम** जो अभी समाप्त नहीं हुए हैं, उनका उचित रूप से प्रबन्ध होना चाहिए। सामान्यतया 40 प्रतिशत आयोजन पर्याप्त समझा जाता है जो बीमा अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम माना गया है।

(16) अंकेक्षक को यह मालूम करना चाहिए कि प्रशासन के खर्चे धारा 40C के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक तो नहीं हैं।

(17) शाखाओं के हिसाब-किताब की जांच किसी योग्य अंकेक्षक के द्वारा की गयी है अथवा नहीं। यदि नहीं की गयी हो तो अंकेक्षक द्वारा जांच की जानी चाहिए।

(18) यह भी देखना चाहिए कि बीमा कम्पनी आचार-संहिता (Code of Conduct) का पूर्णरूपेण पालन करती है।

अंकेक्षक की रिपोर्ट का नमूना

सदस्यगण,

'Z' जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड।

हमने 'Z' जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड के 31 दिसम्बर, 2000 को बनाये गये संलग्न चिट्ठे का और अग्नि, सामुद्रिक एवं अन्य बीमा, रेवेन्यू खातों, लाभ-हानि खाता तथा लाभ-हानि समायोजन खाते का अंकेक्षण कर लिया है। इन खातों में भारतीय एवं विदेशी शाखाओं के हिसाब-किताब तथा खाते संलग्न हैं।

कम्पनी को Companies (Branch Audit Exemptions) Rules, 1961 के Rule 4 के अनुसार शाखाओं के अनिवार्य अंकेक्षण से छूट मिल गयी है।

कम्पनी के खाते बीमा अधिनियम, 1938 के First Schedule के Part II के Form A, Second Schedule के Part II के Form B और C तथा Third Schedule के Part II के Form F के अनुसार बनाये गये हैं।

उपर्युक्त के अनुरूप, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(1) हमें हमारे अंकेक्षण के सम्बन्ध में सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हो गये हैं।

(2) हमारी राय में विधान के अनुसार सभी आवश्यक पुस्तकें कम्पनी ने रखी हैं।

(3) कम्पनी का चिट्ठा, रेवेन्यू खाता, लाभ-हानि खाता तथा लाभ-हानि समायोजन खाता हिसाब-किताब की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(4) हमारी राय में तथा हमारी पूर्ण जानकारी में सूचना तथा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार उपर्युक्त खाते कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार वांछित सूचना देते हैं और कम्पनी का चिट्ठा 31 दिसम्बर, 2000 उसकी आर्थिक स्थिति को तथा लाभ-हानि खाता उसी तारीख को लाभ का सच्चा तथा उचित चित्र प्रस्तुत करता है।

(5) हमने रोकड़ के शेष तथा विनियोगों का स्वयं के निरीक्षण या प्रमाण-पत्र के द्वारा या प्रमाणकों से सत्यापन कर लिया है।

(6) सम्पूर्ण व्यय जो अग्नि, सामुद्रिक अथवा अन्य बीमा के व्यापार के सम्बन्ध में किये गये हैं, सम्बन्धित रेवेन्यू खातों में डेबिट कर दिये गये हैं।

अप्रैल 1, 2001

.....

चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट

5. बिजली कम्पनी (Electricity Companies)

बिजली कम्पनियां बिजली (पूर्ति) अधिनियम, 1948 [Electricity (Supply) Act, 1948)] के अनुसार स्थापित की जाती हैं। रेलों की भांति ये जनता को एक सेवा प्रदान करती हैं। इसके सम्बन्ध में अंकेक्षक को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए :

Scanned with CamScanner

सामान्य सूचनाएं (General Information)

(1) सर्वप्रथम उसे इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि इसकी नियुक्ति बिजली अधिनियम, 1948 के अनुसार हुई है या नहीं। उसे यह भी देखना चाहिए कि उसकी नियुक्ति की स्वीकृति राज्य सरकार से ली गयी है या नहीं।

(2) अंकेक्षक को कम्पनी के खातों के सम्बन्ध में बिजली अधिनियम, 1948 तथा भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 (Indian Electricity Act, 1910) के प्रावधानों का अध्ययन करना चाहिए।

(3) अंकेक्षक को उस संस्था में प्रचलित **आन्तरिक निरीक्षण की प्रणाली** को भली-भांति देखना चाहिए।

(4) अंकेक्षक को उस कम्पनी के **स्मारक पत्र एवं अन्तर्नियम** का अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे खातों से कहां तक सम्बन्धित हैं। अगर लोकसभा (Parliament) ने कोई और कानून पास किया है तो उसका भी अध्ययन करना चाहिए।

(5) उसको ग्राहकों की खाताबही (Consumers' Ledger) का मिलान प्रारम्भिक लेखों से करना चाहिए।

आय (Income)

(6) बिजली कम्पनियां अपने ग्राहकों को बिजली एवं शक्ति प्रदान करती हैं जिनके बदले में उन्हें कुछ **धनराशि प्राप्त** होती है। अंकेक्षक को इस राशि का अंकेक्षण करते समय यह देखना चाहिए कि वह राशि कम्पनी और ग्राहक के ठहराव से कितनी मिलती है। इसके अलावा उस राशि को रोकड़ बही एवं ग्राहकों को दी गयी रसीदों की प्रतिलिपियों (counterfoils) से मिलाना चाहिए।

(7) अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जो रुपया ग्राहकों से लेना है उसका **उचित लेखा** किया गया है या नहीं। यदि ग्राहकों से प्राप्त रकम में से कुछ को अपलिखित किया गया है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी की स्वीकृति जरूरी है तथा ऐसे ग्राहकों के कनेक्शन काट दिये गये हैं अथवा नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए।

व्यय (Expenditure)

(8) अंकेक्षक को देखना चाहिए कि मजदूरी **आयगत एवं पूंजीगत व्ययों** में ठीक-ठीक बांटी गयी है या नहीं। इसके लिए उचित अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए।

(9) अंकेक्षक को देखना चाहिए कि वर्तमान **सम्पत्तियों की मरम्मत के खर्चे** लाभगत व्यय में शामिल किये गये हैं या नहीं।

(10) कर्मचारियों के **वेतन** के बारे में उनके साथ किये गये ठहराव को देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह देखना चाहिए कि इनके वेतन और कम्पनी के प्रत्यक्ष व्ययों में कहां तक सम्बन्ध है। वेतन के भुगतान का प्रमाणन करना चाहिए।

अन्य (Other)

(11) बिजली के **उपभोक्ताओं को छूट** दी गयी है वह उचित है एवं उचित अधिकारी द्वारा स्वीकृत है।

(12) पॉवर हाउस, प्लाण्ट, मीटर, आदि पर उचित दर से ह्रास लगाया गया है या नहीं। स्टोर में रखे हुए माल का मिलान करना चाहिए तथा उसे प्रमाणित स्टॉक से मिलाना चाहिए।

(13) जो खाते कम्पनी **प्रकाशित** करती है वह बिजली अधिनियम, 1948 के अनुसार प्रकाशित होने चाहिए।

(14) सम्पत्तियों का प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन लागत का पूंजीगत व आयगत शीर्षकों के **अन्तर्गत** उचित विभाजन हुआ है अथवा नहीं।

(15) इंजीनियरों, लेखापालों तथा प्रबन्धकों के वेतन की रकम का उत्पादन, वितरण तथा प्रशासन विभागों में ठीक-ठीक आवंटन हुआ है अथवा नहीं।

Scanned with CamScanner

अंकेक्षक की रिपोर्ट का नमूना

सदस्यगण,

'X' इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी।

हमने 'X' इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड के 31 दिसम्बर, 2000 को बनाये गये चिट्ठे तथा उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाये गये संलग्न लाभ-हानि खाते का अंकेक्षण कर लिया है।

कम्पनी Electricity (Supply) Act, 1948 से वहां तक नियन्त्रित होती है जहां तक वे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुरूप नहीं हैं।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(1) हमें अपने अंकेक्षक कार्य के लिए सभी आवश्यक सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हो गये हैं।

(2) हमारी राय में विधान द्वारा सभी अनिवार्य पुस्तकें कम्पनी के पास हैं।

(3) चिट्ठा तथा लाभ-हानि खाता जिनका हमने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है, हिसाब-किताब की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(4) हमारी राय में तथा हमारी जानकारी में जैसा कि प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण से प्रकट है, कम्पनी का चिट्ठा कम्पनी की 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति को तथा लाभ-हानि खाता उसके लाभ की सच्ची तथा उचित स्थिति को प्रकट करता है।

अप्रैल 1, 2001

.....

चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट

Scanned with CamScanner